मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 21 मार्च, 2012 (चैत्र 1, 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.34 बजे समवेत हुई.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 18 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

(ऋणी किसानों की ऋण माफी एवं कृषकों द्वारा आत्महत्याओं सम्बन्धी श्री आरिफ अकील, सदस्य के प्रश्न संख्या 8 (*क्र 3569) पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण गर्भगृह में आये तथा सदन से बहिर्गमन किया)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 132 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 134 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य की मंडला जिले के घुघरी से सलवाह मार्ग में पड़ने वाले नालों पर पुलिया निर्माण न होने,
(2) श्री परसराम मुदगल, सदस्य की मुरैना जिले के ग्राम परीक्षा से बराहेट मार्ग के खराब होने,
(3) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ जिले में छात्राओं को छात्रावास की सुविधा होने के बाद भी न मिलने,
(4) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य की राजगढ़ जिले के फतेहपुर बांध पर स्थित नहर पक्की बनाई जाने,
(5) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल जिले में शिक्षा अधिकारी द्वारा परीक्षा केन्द्र आवंटित करने में अनियमितता करने,
(6) श्री संजय पाठक, सदस्य की कटनी जिले के ग्राम कांटी में विषैली दाल खाने से तीन बच्चों की मौत होने,
(7) श्री रामदयाल अहिरवार, सदस्य की छतरपुर जिले के सहायक खाद्य अधिकारी द्वारा अवैध वसूली करने,
(8) श्री विश्वास सारंग, सदस्य की नरेला क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होने,
(9) श्री गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्य की प्रदेश में प्लास्टिक पाउचों पर प्रतिबंध लगाये जाने तथा
(10) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की नागदा क्षेत्र में रसोई गैस की किल्लत होने

सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का 54 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2010-11 पटल पर रखा।

4. ध्यान आकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से नियम (138) (3) को शिथिल करके, आज की कार्यसूची में उल्लेखित 4 ध्यानाकर्षण सूचनाएं लिये जाने सम्बन्धी घोषणा की गई। तद्नुसार –

(1) श्री गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्य ने होशंगाबाद जिले में सिंचाई हेतु पंप का प्रयोग किये जाने पर दण्डात्मक कार्रवाई किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) सर्वश्री सुनील जायसवाल एवं नर्मदा प्रसाद प्रजापति, सदस्यगण ने नरसिंहपुर जिले में रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना की नहरों का कार्य पूर्ण न होने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री, नर्मदा घाटी विकास ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) श्री रामलखन सिंह, सदस्य ने सतना जिले में पूर्वा नहर हेतु अधिगृहीत भूमि का मुआवजा दिये जाने में अनियमितता होने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) सर्वश्री रमेश प्रसाद खटीक, के.पी. सिंह एवं इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्यगण ने शिवपुरी जिले के आदिम जाति कल्याण जिला अधिकारी द्वारा पद का दुरूपयोग किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री हरिशंकर खटीक, राज्यमंत्री, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. नियम समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री विश्वामित्र पाठक, सदस्य ने नियम 231 (3) के अधीन नियम समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित, निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर (जिला-ग्वालियर)
(2) श्री यादवेन्द्र सिंह (जिला-टीकमगढ़)
(3) श्रीमती गीता रामजीलाल उईके (जिला-बैतूल)
(4) श्रीमती रेखा यादव (जिला-छतरपुर)
(5) श्री विजेन्द्र सिंह मलाहेड़ा (जिला-नीमच)
(6) श्री राजकुमार उरमलिया (जिला-रीवा)
(7) श्री रमेश प्रसाद खटीक (जिला-शिवपुरी)
(8) श्री विश्वास सारंग (जिला-भोपाल शहर)

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री नागेन्द्र सिंह (नागौद), लोक निर्माण मंत्री ने मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि विधेयक, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2012) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया।

(2) श्रीमती अर्चना चिटनीस, स्कूल शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश जन शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 6 सन् 2012) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया।

(3) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 7 सन् 2012) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया।

(4) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 8 सन् 2012) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया।

(5) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, ऊर्जा ने मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क विधेयक, 2012 (क्रमांक 9 सन् 2012) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया।

8. वर्ष 2012-13 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमश:)

(दिनांक 14, 15, 16 ,19 एवं 20 मार्च, 2012 को हुई चर्चा का पुनर्ग्रहण)

(15) श्रीमती अर्चना चिटनिस, स्कूल शिक्षा मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) के लिए चार हजार सात सौ आठ करोड़, उनतालीस लाख, अस्सी हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या – 77	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) के लिए एक हजार दो सौ सैंतीस करोड़, दस लाख, छह हजार रूपये तक की राशि दी जाय।

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह
(2) श्री गिरिजाशंकर शर्मा
(3) श्री मदन कुशवाह
(4) श्री मानवेन्द्र सिंह
(5) श्री आत्माराम पटेल
(6) श्री श्रीकांत दुबे
(7) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
(8) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(9) श्री पारस सकलेचा
(10) श्री रामलल्लू वैश्य
(11) श्री गोविन्द सिंह राजपूत
(12) श्री विश्वास सारंग
(13) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर

श्रीमती अर्चना चिटनिस, स्कूल शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(16) श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 3	पुलिस के लिए दो हजार नौ सौ बहत्तर करोड़, पन्द्रह लाख, पचासी हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या – 4	गृह विभाग से संबंधित व्यय के लिए बीस करोड़, अठासी लाख, तिहत्तर हजार रूपये तक की राशि दी जाय।

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी

(चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य एवं श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री के मध्य परस्पर असंसदीय टिप्पणियों के कारण सदन की कार्यवाही में व्यवधान एवं शोरगुल की स्थिति बनी। कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण, गृह मंत्री से माफी मांगने की बात कहते हुए गर्भगृह में आए तथा नारेबाजी की।अध्यक्ष महोदय की समझाईश पर सदस्यगण वापस अपने आसनों पर गए।)

(2) श्री सुदर्शन गुप्ता
(3) श्री रामलखन सिंह
(4) डॉ. गोविन्द सिंह
(5) श्री देवेन्द्र वर्मा
(6) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर

श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(17) श्री अजय विश्नोई, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 63	अल्प संख्यक कल्याण के लिए तैंतालीस करोड़, उनसठ लाख, अठानवे हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 66	पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए पांच सौ चार करोड़, सत्तर लाख, छियासी हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या – 76	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के लिए अट्ठाईस करोड़, सड़सठ लाख, चौरासी हजार रूपये तक की राशि दी जाय।

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री पुरूषोत्तम दांगी
(2) श्री राधेश्याम पाटीदार
(3) श्री पारस सकलेचा
(4) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति
(5) श्री गिरिजाशंकर शर्मा

श्री अजय विश्नोई, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(18) श्री नागेन्द्र सिंह (नागौद), लोक निर्माण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिए दो हजार चार सौ चौरासी करोड़, बासठ लाख, बहत्तर हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिए पांच सौ छत्तीस करोड़, अड़तालीस लाख रूपये तथा
अनुदान संख्या – 67	लोक निर्माण कार्य-भवन के लिए पांच सौ सैंतालीस करोड़, अड़तीस लाख, चौरानवे हजार रूपये तक की राशि दी जाय।

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल
(2) श्री गिरीश गौतम
(3) श्रीमती मीरा दीपक यादव
(4) श्री सुरेश चौधरी
(5) श्री ताराचंद बावरिया
(6) श्री बालाराम बच्चन
(7) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन
(8) श्री अरूणोदय चौबे
(9) श्री मनीराम धाकड़
(10) श्री रमेश दिलीप भटेरे
(11) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़)

श्री नागेन्द्र सिंह (नागौद), लोक निर्माण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(19) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 6	वित्त के लिए आठ हजार सात सौ बाईस करोड़, चौहत्तर लाख, अट्ठावन हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 7	वाणिज्यिक कर के लिए एक हजार सात सौ सैंतीस करोड़, तैंतालीस लाख, तिरासी हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी के लिए दो सौ चालीस करोड़, चौरानवे लाख, तेईस हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय के लिए एक सौ अठानवे करोड़, अठासी लाख रूपये तथा
अनुदान संख्या – 61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय के लिए चार सौ निन्यानवे करोड़, अट्ठाइस हजार रूपये तक की राशि दी जाय।

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, वित्त विभाग की मांगों को छोड़कर शेष मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर
(2) श्रीमती मीरा दीपक यादव
(3) श्री यादवेन्द्र सिंह
(4) श्री पारस सकलेचा
(5) श्री रामलखन सिंह
(6) श्री आत्माराम पटेल

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(20) श्री पारस जैन, राज्यमंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण के लिए एक हजार एक सौ चवालीस करोड़, चौरानवे लाख, उनसठ हजार रूपये तक की राशि दी जाय।

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री लखन घनघोरिया
(2) श्री राधेश्याम पाटीदार

(3) श्री श्रीकांत दुबे
(4) श्री बाबूलाल वर्मा
(5) श्री ओमकार सिंह मरकाम
(6) श्री बृजराज सिंह चौहान
(7) श्री पारस सकलेचा

श्री पारस जैन, राज्यमंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांग का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(21) श्री जगन्नाथ सिंह, श्रम मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 18 श्रम के लिए एक सौ तेरह करोड़, अट्ठाइस लाख, छब्बीस हजार रूपये तक की राशि दी जाय।

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर
(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(3) श्री रामलखन सिंह

श्री जगन्नाथ सिंह, श्रम मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांग का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 9.20 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 22 मार्च, 2012 (चैत्र 2, 1934) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 21 मार्च, 2012